

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

श्यामसुन्दर बनाम राज0 सरकार

मु0नं0-

101/2025

किस्म मुकदमा-128 एल.आर.ए.

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2025	<p>पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा संख्या 613, 617 वाके रामा उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2025 को तहसीलदार सिकराय के आदेश से करवाया जा चुका है एवं सीमाचिन्ह स्थापित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी में पत्थरगढी नहीं होने से सीमा चिन्ह नष्ट हो जाते है एवं आवारा पशुओं से फसल की रखवाली नहीं हो पाती है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किए जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जवाब स्टेट तलब किया गया। प्रकरण में सिकराय द्वारा जवाब पेश किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर 128 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कार्यवाही करवाने का पूर्ण अधिकार है। जवाब स्टेट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी को पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि आराजी खसरा नम्बर 613, 617 वाके रामा उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार नियमानुसार पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला दौसा